न्यायालय उपखंड़ अधिकारी, राजगढ़ जिला चूरू

बइजलास पंकज गढ़वाल (आर. ए. एस.)

वाद सख्या – 44 सन् – 2020

निर्णय दिनांक – 16.02.2021

पुष्पा कंवर आयु 30 साल पत्नी सुल्तान सिंह जाति राजपूत निवासी सांखू तहसील राजगढ़ जिला चूरू हाल वार्ड संख्या 04 मुसरी ननाऊ नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़

– वादीनी

बनाम

राजस्थान सररकार जरिये तहसीलदार, राजगढ़ जिला चूरू

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थिति –

विद्वान अधिवक्ता श्री अजीत पचार, प्रेम सिंह बीका वास्ते वादीनी पक्ष

पैरोकार राज वास्ते प्रतिवादी

निर्णय

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं कि वादीनी ने यह वाद विरुद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस न्यायालय में मय दस्तावेजात प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खाता संख्या 07, खसरा संख्या 229 तादादी 9.81 हैक्टेयर वाके रोही मालाना बास तहसील राजगढ़ जिला चूरू में अवस्थित है जो विवादित है। उक्त कृषि भूमि वादीनी की दादालाई पैतृक् भूमि है जो वादीनी के हक हिस्सा में उसके पिता अमरसिंह की मृत्यु के पश्चात् आई है। वादीनी का नाम पुष्पा कंवर है जो इसी अनुरुप आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, वोटर कार्ड आदि दस्तावेजात में दर्ज चला आया है। उक्त कृषि भूमि में वादीनी का 1/16 हिस्सा निहित है तथा उपरोक्त हिस्सा की खातेदार काश्तकार है। राजस्व रिकॉर्ड में वादीनी का नाम बनेकंवर दर्ज चला आ रहा है। उक्त बनेकंवर नाम का गलत अंकन वादीनी के पिता अमरसिंह की मृत्यु के पश्चात् चढ़े विरासतन नामांतकरण संख्या 117 दिनांक 01.02.2008 से हुआ है। उक्त विरासतन नामांतकरण संख्या 117 दिनांक 01.02.2008 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादीनी का नाम बनेकंवर दर्ज कर दिया गया जबकि वादीनी का नाम पुष्पा कंवर ही समस्त रिकार्ड में चला आ रहा है। राजस्व रिकार्ड में वादीनी का नाम गलत अंकित किए जाने का राजस्व कर्मचारियों को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं रहा है। वादीनी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज चली आने से वादीनी को काफी परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है जिस कारण राजस्व रिकार्ड में वादीनी का नाम पुष्पा कंवर घोषित कर बनेकंवर के स्थान पर पुष्पा कंवर दर्ज किया जाना न्यायोचित्त है। वादीनी द्वारा कृषि लाभ लेने हेतु राजस्व रिकॉर्ड की नकल लेने पर जानकारी हुई तब वादीनी ने तहसीलदार साहेब राजगढ़ के यहां पर नाम को दुरूस्त कराने हेतु निवेदन किया तो वहां से श्रीमान् जी के न्यायालय में घोषणा की कार्यवाही करने का कहा जिस कारण दावा हाजा प्रस्तुत करना पड़ा, आदि आदि व वादगत भूमि में वादीनी का नाम बनेकंवर के

स्थान पर पुष्पा कंवर होने की घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अनुतोष चाहा।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज उपस्थित आए। प्रतिवादी की ओर से जांच रिपोर्ट दिनांकित 04.03.2020 प्रस्तुत की गई जिसमें वादीनी का वास्तविक नाम बन्ने कंवर ना होकर पुष्पा कंवर होना व वादीनी के दस्तावेजात में उक्तानुसार नाम होना बताया एवं नाम शुद्ध किये जाने की सिफारिश की गई। वाद पत्र के अभिवचनों के खंड़न के अभाव में विवाद्यक विरचित नहीं किए गए। उभय द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर वादीनी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड के आधार पर ही वाद को निस्तारित किए जाने का निवेदन किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामला कृषि भूमि में अशुद्ध नाम को सही घोषित करवाए जाने का है। वादीनी के अभिवचनों का कोई खंड़न प्रस्तुत नहीं हुआ है अपितु प्रतिवादी द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में बन्ने कंवर व पुष्पा कंवर एक ही महिला के दो नाम होना बताया है व वास्तविक नाम पुष्पा कंवर होना एवं इसी अनुसार वादीनी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, वोटर कार्ड आदि दस्तावेजात में दर्ज चला आ रहा है जिससे वादीनी का वास्तविक नाम बन्ने कंवर के स्थान पर पुष्पा कंवर होना प्रमाणित है, ऐसे में उक्तानुसार वादघोषणा के अनुतोष हेतु डिक्री किया जाकर वादगत कृषि भूमियों में वादीनी का नाम बन्ने कंवर के स्थान पर पुष्पा कंवर घोषित किया जाकर तद्नुरुप राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित्त प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वाद डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खाता संख्या 07, खसरा संख्या 229 तादादी 9.81 हैक्टेयर वाके रोही मालाना बास तहसील राजगढ़ जिला चूरू के राजस्व रेकार्ड में वादीनी का नाम बनेकंवर के स्थान पर पुष्पा कंवर है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने का आदेश दिए जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)
उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)